र प्रदेश राज्य औद्योगिक इस निगम लिमिटेड

Uneigt

Resonstitution

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स ए—1/4, लखनपुर, पोस्ट बाक्स नं0 1050, कानपुर—208 024

दूरभाष : 2582851—53 फैक्स : (0512) 2580797 वेबसाईट : www.upsidc.com र्ड मेल : feedback@upsidc.com

दिनांक

न्दर्भ सं0

5-1686

JUADIM

ABAHAJ

AON)

/एसआईडीसी/आईए/एचओ/

—: कार्यालय आदेश :--

निगम के निदेशक मण्ड़ल की 282वीं बैठक में निगम द्वारा व्यवसायिक, होटल, मल्टीप्लेक्स, ग्रुप हाउसिंग आदि के भूखण्डों के आवंटन के पश्चात विकासकर्ताओं के स्वामित्व में परिवर्तन होने के कारण नये साझीदारों/अंशधारकों/निदेशकों को मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निम्न निर्णय पारित किया गया हि—

1. विकासकर्ता द्वारा कम्पलीशन से पूर्व स्वामित्व में बहुतायत परिवर्तन/हस्तान्तरण होने की दशा में पूर्ण भूखण्ड पर वर्तमान दर का 15 प्रतिशत हस्तान्तरण लेवी के भुगतान पर मान्यता प्रदान की जाएगी।

- 2. औद्योगिक क्षेत्रों के औद्योगिक भूखण्डों के अनुरूप ही बिल्डर्स/विकासकर्ता द्वारा आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य पूर्ण करके कम्पलीशन प्रमाण पत्र ले लिया गया हो तथा मूल आवंटी विकासकर्ता के स्वामित्व में बहुतायत परिवर्तन होने की दशा में वर्तमान प्रीमियम दर का 5 प्रतिशत हस्तान्तरण लेवी के भुगतान पर मान्यता प्रदान की जाएगी।
- 3. यदि विकासकर्ता द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करके कम्पलिशन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है तो प्रस्तावित निर्मित दुकानों/आफिसों में से कुछ दुकान/आफिस की बिक्री होने के पश्चात मूल आवंटी के स्वामित्व में बहुतायत में परिवर्तन होता है तो शेष अबिक्रीत दुकानो/आफिसों के अनुपातिक क्षेत्रफल पर वर्तमान प्रीमियम दर का 5 प्रतिशत के अनुपातिक आधार पर हस्तान्तरण लेवी पर क्रेता विकासकर्ता को मान्यता प्रदान की जाएं, किन्तु हस्तान्तरी विकासकर्ता द्वारा एकल आवंटी (end users) के स्वामित्व हस्तान्तरण के समय हस्तान्तरण शुल्क आदि निगम की आपरेटिंग मैनुअल की धारा 11.02 के प्रचलित प्रावधानों के अन्तिगत ही अनुमन्य होगें

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(मनोज सिंह) प्रबन्ध निदेशक

संख्या १०८१-५५ एसआईडीसी-आईए-पालिसी वाल्यूम- १ ७ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक २ १ . १ १ . २ ० १ %

- 1. स्टाफ आफीसर प्रo निदेशक / सo प्रबन्ध निदेशक कैम्प, उ०प्रoराoऔंoविoनिoलिo, मुख्यालय, कानपुर।
- 2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
- 3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी / क्षेत्र प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
- 4. समस्त अधिकारी / कर्मचारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर।

्रिम्नोज सिंह) प्रबन्ध निदेशक